रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 239] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 1972/भाद्र 24, 1894
No. 239] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1972/BHADRA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 1972

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts citizens of India, against whom proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by them are pending before a criminal court in India and who produce orders from the court concerned permitting them to depart from India or exempting them from personal appearance in such court, from the operation of the provisions of clause (f) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, subject to the following conditions, namely:—

(i) the passport to be issued to every such citizen shall be issued only for the period, if any, specified in the order of the court referred to above or if no period is specified in such order, the passport shall be issued for a period of six months and may be renewed for a further period of six months, if the order of the court is not cancelled or modified;

(ii) the said citizen shall give an undertaking in writing to the passport authority that he shall, if required by the court concerned, appear before it at any time during the continuance in force of the passport so issued.

[No. VI/401/50/72.]

AVTAR SINGH, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1972

जी० एस० आर० 411(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15वां) की धारा 22 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस विचार से कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा भारत के उन नागरिकों को, जिनके खिलाफ, किसी कथित अपराध के आरोप के कारण भारत की किसी फौजदारी अदालत में मुकदमा चल रहा है और जिन्होंने संबद्ध अदालत से भारत से जाने की अनुमति अथवा उस अदालत में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने से छूट के आदेश प्रस्तुत किए हों, निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के प्रावधानों के लागू होने से छूट प्रदान करती है, यथा :—

(1) ऐसे सभी नागरिकों को सिर्फ उसी अवधि के लिए पासपोर्ट जारी किया जायेगा जिस अवधि का उपरिलिखित अदालत के आदेश में उल्लेख हो; यदि उक्त आदेश में अवधि का उल्लेख न हो तो छह महीने के लिए पासपोर्ट जारी किया जायगा और यदि अदालत के आदेश रद्द अथवा परिशोधित न हुए हों तो उसे अगले छह महीने के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(2) ऐसा नागरिक पासपोर्ट प्राधिकारी को लिखित रूप से एक प्रतिज्ञापत्र देगा कि यदि सम्बद्ध अदालत उसे बुलाए तो इस तरह जारी किए गए पासपोर्ट के चालू रहने के दौरान किसी भी समय अदालत के समक्ष वह हाजिर होगा।

[सं० छह (401)/50/72]

अवतार सिंह, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972